

10



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक : एफ.1(2)(38)निमअ/स्था/2020/24490

जयपुर, दिनांक : 5-8-2021

आदेश

श्री लोकेश कुमार मीना, सुपरवाइजर (परिवीक्षाधीन), ब्लॉक-बासेड़ी, कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर के विरुद्ध अभियोग संख्या 58/2020 दिनांक 07.11.2020 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. थाना एसओजी, राजस्थान, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 को दर्ज होकर प्रथम दृष्ट्या अपराध में लिप्त पाये जाने पर दिनांक 06.11.2020 को सायंकाल 05:00 बजे गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः विभाग राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लोकेश कुमार मीना, सुपरवाइजर (परिवीक्षाधीन), ब्लॉक-बासेड़ी, कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर को दिनांक 06.11.2020 को सायंकाल 05:00 बजे से एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है।

श्री लोकेश कुमार मीना का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर के कार्यालय में रहेगा।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक : एफ.1(2)(38)निमअ/स्था/2020/24491-496

जयपुर, दिनांक : 5-8-2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. जिला कलेक्टर, धौलपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर।
4. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर को भेजकर लेख है कि श्री लोकेश कुमार मीना के निलम्बन काल में आपके कार्यालय में रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करावे। उन्हें यह भी निर्देश प्रदान करे कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोड़े। उन्हें निलम्बन काल में अवकाश वेतन/पारिश्रमिक के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, तो ऐसे वेतन/पारिश्रमिक के बराबर निर्वाह भत्ता देय है। श्री लोकेश कुमार मीना के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त आदेश श्री लोकेश कुमार मीना को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. श्री लोकेश कुमार मीना (निलम्बित), कार्मिक कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.